

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(121)एमई/ग्रुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 25-2-2014

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदया निम्नांकित अम्थियों को सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे रु. 6600/-) में अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे :-

क्र.सं.	अम्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० सिदार्थ शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द्र शर्मा, 2-ए, चित्रगुप्त नगर - II, करतपुरा फाटक, जयपुर (राज०)- 302005	एम-04	04.07.1973	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ० नवीन पालीवाल पुत्र श्री प्रभु लाल पालीवाल, केसर पुंज, प्लॉट नं० 261, सेक्शन -7, एक्सटेंशन न्यू पावर रोड, शास्त्री नगर, जोधपुर (राज०)- 342001	एम-09	20.12.1979	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
3.	डॉ० मोरा कुमारी पुत्री स्व. श्री रामजी लाल, टी-14-एल (16 क्वार्टर) रेल्वे कॉलोनी सार्दूलपुर चूरु (राज०)- 331023	एम-19	21.03.1974	अनूसूचित जाति (महिला)	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/ क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

25/2/14

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन है।


आज्ञा से,



(कैलाश चन्द्र राव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(7)भर्ती/गोपनीय/2012-13/320 दिनांक 26.9.2013 एवं एफ. 7(7)भर्ती "ख"/2012-13/1528 दिनांक 09.10.2013 एवं एफ. 7(7)भर्ती "ख"/2012-13/1682 दिनांक 10.12.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(121)एमई/गुप-1/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 25-2-2014

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदया निम्नांकित अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य, निश्चेतन के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे रु. 6600/-) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 20200/- प्रतिमाह की दर पर अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० नीलू शर्मा पुत्री श्री रामबाबू शर्मा बी-34, शिवाजी गोदारा कॉलोनी, खातीपुरा रोड़, जयपुर (राज.) - 302012	एम-01	13-7-1982	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2.	डॉ० मोहम्मद यूनस खिलजी पुत्र श्री सत्तार खिलजी C/o डॉ० मोहम्मद इकबाल 6-सी-21, जे.एन.वी. कॉलोनी, एल.आई.सी. ऑफिस के पास, बीकानेर (राज.) - 334003	एम-02	06-8-1983	अपिजा	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
3.	डॉ० प्रदीप चारण पुत्र श्री शैतान सिंह चारण 11/12, श्याम कॉलोनी, श्याम नगर विस्तार, चौरडिया एनक्लेव के सामने, जनपथ, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर-302019	एम-05	11-7-1978	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
4.	डॉ० किवी मन्टन पुत्र श्री जी.सी. मन्टन ए-22, शास्त्री नगर, बीकानेर (राज.)-334003	एम-06	02-5-1989	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
5.	डॉ० दीपक कुमार गर्ग पुत्र श्री रोहित कुमार गर्ग मैसर्स रामेश्वर दयाल, महेश चन्द, 17, नई अनाज मण्डी, महुवा, जिला दौसा (राज.)-321608	एम-08	07-12-1986	सामान्य	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
6.	डॉ० विजेता खण्डेलवाल पुत्री श्री विजय कुमार खण्डेलवाल, 1-K-35, महावीर नगर विस्तार योजना, कोटा(राज.)	एम-11	25-4-1983	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज, कोटा

क्रमशः-2

Shan
25/2/14

(2)

7.	डॉ० प्रीति अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद अग्रवाल, सुनार मोहल्ला, आदर्श विद्यापीठ के पास, सीकरी, भरतपुर (राज.) 321024	एम-12	19-2-1986	सामान्य, महिला	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
8.	डॉ० मनोज कुमार सोनी पुत्र श्री प्रहलाद राय सोनी जु. पो. तीर्थल जाया बड़ा- गांव जिला झुंझुनु (राज.) 333021	एम-13	10-4-1980	अपिजा	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
9.	डॉ. प्रमिला सोनी पुत्री श्री गोरी शंकर सोनी II-E-244 जे.एन.वी. कॉलोनी बीकानेर (राज.)	एम-15	10-3-1982	अपिजा (महिला)	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
10.	डॉ. सादिक मोहम्मद पुत्र श्री अब्दुल कय्युम मोहम्मदी मस्जिद के पास हनुमान जी की भाकरी नई सडक जोधपुर (राज.) 342001	एम-16	29-1-1984	अपिजा	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
11.	डॉ० सविता मीणा, पुत्री लक्खीराम मीणा सी-30 जे.पी. कॉलोनी, टोंक फाटक जयपुर (राज.) 302015	एम-17	20-3-1980	अनुसूचित जनजाति (महिला)	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
12.	डॉ० बसंत कुमार ठिण्डोर पुत्र श्री खातूराम ठिण्डोर गाँव रोजिया पोस्ट दानपुर तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)	एम-18	17-3-1983	अनुसूचित जनजाति	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
13.	डॉ० भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मार्फत हरी राम आचर्य, 42-ए, गंगवाल पार्क, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के पीछे, जयपुर राजस्थान	एम-20	13-3-1983	अनुसूचित जाति	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
14.	डॉ० श्रीमती शैना ठाडा पुत्री श्री चिरंजी लाल ठाडा, ए-132, मालवीया नगर, जयपुर -302017	ए-21	09-10-1982	अपिजा (महिला)	मेडिकल कॉलेज, अजमेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्याधीन निबन्धको एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन होगी।

25/2/14

उपरोक्त चिकित्सकों का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है।
चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

आज्ञा से,
25/2/14
(कैलाश चन्द्र राव)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(7)भर्ती/गोपनीय/2012-13/320 दिनांक 26.9.2013 एवं एफ. 7(7)भर्ती "ख"/2012-13/1528 दिनांक 09.10.2013 एवं एफ. 7(7)भर्ती "ख"/2012-13/1682 दिनांक 10.12.2013 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
5. संबंधित अभ्यर्थी (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

25/2/14
(धन्ना लाल)
शासन सहायक सचिव